न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर, अलवर

पीठासीन अधिकारी–श्री श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर0ए0एस)

प्रकरण संख्या–12 / 12 / 2025
जीसीएमएस–2025 / 228
दायर दिनांक–23 / 05 / 2025
निर्णय दिनांक–13 / 02 / 2026

1. रमन बिहारी उपाध्याय पुत्र दिनेश उपाध्याय जाति ब्राहम्मण निवासी बाकलपूर तहसील व जिला मथुरा यूपी।
2. अवध बिहारी उपाध्याय पुत्र दिनेश उपाध्याय जाति ब्राहम्मण निवासी बाकलपूर तहसील व जिला मथूरा यपी।

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत मथुराहेडा पंचायत संमिति कठूमर जिला अलवर।।

..... असल रेस्पोडेंण्ट

अपील विरूद्व आदेश 23.09.2019 विरासत इन्तकाल संख्या 594 ग्राम मथुराहेडा ग्रा. पं. मथुराहेडा अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति–1.श्री भवानी शंकर शर्मा अधिवक्ता अपीलाण्टस

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में अपील विवरण इस प्रकार है कि वादग्रस्त आराजी खसरानम्बर 146 वाके ग्राम मथुराहेडा ग्राम पंचायत मथुराहेडा तहसील कठूमर में स्थित है,जो आराजी ओमप्रकाश पुत्र जगन्नाथ जाति ब्राहम्ण निवासी मथुराहेडा की कब्जे काश्त खातेदार की आराजी थी जिस ने उक्त आराजी को अपनी जरूरत की पूर्ति के लिये अपीलाण्टस से जये बय लेकर व मौके पर कब्जा लिया जाकर बेचान कर दिया व कब्जा अपीलाण्ट को संभावा दिया वाद खरीद से अपीलाण्ट उक्त आराजी पर वहिस्सा बराबर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त बयनाम को पटवारी हल्का को दे दिया पटवारी हल्का ने इन्तकाल भरते समय रजिस्टर्ड बयनामा पर गौर किये बिना ही अपीलाण्ट संख्या 2 का नाम छोड दिया तथा अपीलाण्ट संख्या 1 का नाम भी रमनबिहारी उपाध्याय के स्थान पर रामबिहारी उपाध्याय गावं का नाम बाकलपुर मथुरा यूपी के स्थान पर ग्राम का नाम बालकपुर मथुरा यूपी दर्ज कर दिया पटवारी हल्का ने अपीलाण्ट के नाम की जॉच किये बिना ही बिना अपीलाण्ट को बिना बुलाये बिना सुने विधि विरूद्व तरीके से इन्तकाल संख्या 594 वाके ग्राम मथुराहेडा तस्दीक किया है, जबकि अपीलाण्टस संख्या 1 का नाम रमन बिहारी उपाध्याय के स्थान पर रामबिहारी उपाध्याय व गावं का नाम बाकलपुर के स्थान पर बालकपुर लिखकर स्वीकार कर दिया।जिस गलत इंतकाल को कानूनगो हल्का ने अपीलाण्ट को बिना बुलाये बिना सुने सही नाम की जॉच किये बिना ही इन्तकाल को सही अंकन होना पाया अंकित कर दिया। जिस विरासत इन्तकाल को पटवारी हल्का ने रेस्पो0 सरपंच ग्राम पंचायत मथुराहेडा के समक्ष वास्ते स्वीकृत पेश किया। जिस दोषपूर्ण इन्तकाल को ग्राम पंचायत ने बिना सुने बिना बुलाये अपीलाण्ट के सही नाम की जानकारी किये बिना जॉच किये बिना पहचान के दस्तावेत लिये बिना ही गैरकानूनी ढंग से अपीलाण्ट

संख्या 2 का नाम छोडकर व अपीलाण्ट संख्या 1 का नाम गलत व गांव का नाम गलत स्वीकार कर दिया गया। जो विधि विरूद्व तरीके से तस्दीक होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट को उक्त इन्तकाल संख्या 594 के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 15.05.2025 को पटवारी हल्का के पास जाने तथा रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर हुई, जिस पर अपीलाण्ट ने इन्तकाल संख्या 594 की नकल प्राप्त कर बिना देरी किये अपील पेश की है। आदेश दिनांक 18.08.2019 से दिनांक 16.05.2025 तक की देरी कण्डोन किये जाने का उचित कारण है जिस देरी को कण्डोन करने के लिये अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पत्रावली के साथ पेश किया गया है विवादित इन्तकाल ग्राम पंचायत की मीटिंग बुलाये बिना तथा प्रोसिडिंग रजिस्टर में दर्ज किये बिना एवं अपीलांट्स को बिना सुने बिना बुलाये तस्दीक किये जाने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट पेश कर इन्तकाल संख्या 594 दिनांक 23.09.2019 वाके मथुराहेडा ग्राम पंचायत मथुराहेडा तहसील कठूमर, अलवर निरस्त करने का निवेदन किया है।

अपीलाण्ट को उक्त दोषपूर्ण इन्तकाल संख्या 594 के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 23.09.2019 को पटवारी हल्का के पास केडिट कार्ड बनवाने पर पटवारी हल्का के हस्ताक्षर कराने गया तब पटवारी हल्का ने राजस्व रेकॉर्ड देखने के दौरान एवं रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर हुई, जिस पर अपीलाण्ट ने इन्तकाल संख्या 594 की नकल प्राप्त कर बिना देरी किये अपील पेश की है। ऐसे मामलों में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा देरी में नरमी का रूख अपनाया है। हस्तगत प्रकरण में अपील में देरी के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुये धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलाण्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

प्रकरण में दफा 5 स्वीकार होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया।। रेस्पोडेंट दिनांक 29.08.2025 को वाबजूद रजिस्टर्ड डाक सूचना के अनुपस्थित आये जिनकी अनुपस्थिति दर्ज की गई। अपीलाण्टस के द्वारा अपने पत्रावली के साथ नकल इन्तकाल नम्बर 594 नकल बयनाम वाके ग्राम मथुराहेडा, आदि दस्तावेजात पेश किये है जो शामिल पत्रावली किये गये है।

अपीलाण्टसअभिभाषक की अपील पर बहस सुनी गयी। सर्वप्रथम हमें उक्त इन्तकाल संख्या 594 के बारे में जानकारी दिनांक 23.03.2019 को पटवारी हल्का के पास जाने तथा रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर हुई जिस पर अपीलाण्ट ने इन्तकाल संख्या 594 की नकल प्राप्त कर बिना देरी किये अपील पेश की है। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों को ही दोहराते हुए निवेदन किया की जो आराजी ओमप्रकाश पुत्र जगन्नाथ जाति ब्राहम्ण निवासी मथुराहेडा की कब्जे काश्त खातेदार की आराजी थी जिस ने उक्त आराजी को अपनी जरूरत की पूर्ति के लिये अपीलाण्टस से जये बय लेकर व मौके पर कब्जा लिया जाकर बेचान कर दिया व कब्जा अपीलाण्ट को संभावा दिया वाद खरीद से अपीलाण्ट उक्त आराजी पर वहिस्सा बराबर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त बयनाम को पटवारी हल्का को दे दिया पटवारी हल्का ने इन्तकाल भरते समय रंजिस्टर्ड बयनामा पर गौर किये बिना ही अपीलाण्ट संख्या 2 का नाम छोड दिया तथा अपीलाण्ट संख्या 1 का नाम भी रमनबिहारी उपाध्याय के स्थान पर रामबिहारी उपाध्याय गावं का नाम बाकलपुर मथुरा यूपी के स्थान पर ग्राम का नाम बालकपुर मथुरा यूपी दर्ज कर दिया पटवारी हल्का ने अपीलाण्ट के नाम की जॉच किये बिना ही बिना अपीलाण्ट को बिना बुलाये बिना सुने विधि विरूद्व तरीके से इन्तकाल संख्या

594 वाके ग्राम मथुराहेडा तस्दीक किया है, जबकि अपीलाण्टस संख्या 1 का नाम रमन बिहारी उपाध्याय के स्थान पर रामविहारी उपाध्याय व गावं का नाम वाकलपुर के स्थान पर बालकपुर लिखकर स्वीकार कर दिया।जिस गलत इंतकाल को कानूनगो हल्का ने अपीलाण्ट को बिना बुलाये बिना सुने सही नाम की जॉच किये बिना ही इन्तकाल को सही अंकन होना पाया अंकित कर दिया। जिस विरासत इन्तकाल को पटवारी हल्का ने रेस्पो0 सरपंच ग्राम पंचायत मथुराहेडा के समक्ष वास्ते स्वीकृत पेश किया। जिस दोषपूर्ण इन्तकाल को ग्राम पंचायत ने बिना सुने बिना बुलाये अपीलाण्ट के सही नाम की जानकारी किये बिना जॉच किये बिना पहचान के दस्तावेत लिये बिना ही गैरकानूनी ढंग से अपीलाण्ट संख्या 2 का नाम छोडकर व अपीलाण्ट संख्या 1 का नाम गलत व गांव का नाम गलत स्वीकार कर दिया गया। जो विधि विरूद्व तरीके से तस्दीक होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट को उक्त इन्तकाल संख्या 594 के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 15.05.2025 को पटवारी हल्का के पास जाने तथा रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर हुई, जिस पर अपीलाण्ट ने इन्तकाल संख्या 594 की नकल प्राप्त कर बिना देरी किये अपील पेश की है। आदेश दिनांक 18.08.2019 से दिनांक 16.05.2025 तक की देरी कण्डोन किये जाने का उचित कारण है जिस देरी को कण्डोन करने के लिये अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पत्रावली के साथ पेश किया गया है विवादित इन्तकाल ग्राम पंचायत की मीटिंग बुलाये बिना तथा प्रोसिडिंग रजिस्टर में दर्ज किये बिना एवं अपीलांट्स को बिना सुने बिना बुलायें तस्दीक किये जाने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट पेश कर इन्तकाल संख्या 594 दिनांक 23.09.2019 वाके मथुराहेडा ग्राम पंचायत मथुराहेडा तहसील कठूमर, अलवर निरस्त करने का निवेदन किया गया।

हमने अपीलाण्टस अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अपीलाण्ट अधिवक्ता बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध राजस्व दस्तावेजात के आधार पर इन्तकाल संख्या 594 दिनांक 23.09.2019 वाके मथुराहेडा पंचायत मथुराहेडा तहसील कठूमर, अलवर निरस्त किये जाने एवं अपीलाण्टस द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956 की स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होती है।

–::आदेश::–

अतः अपीलाण्ट अधिवक्ता बहस, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत मथुराहेडा स्वीकृत इंतकाल संख्या 594 दिनांक 23.09.2019 वाके ग्राम मथुराहेडा ग्राम पंचायत मथुराहेडा को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार कठूमर को रिमाण्ड कर निर्देशित किया जाता है कि वह नियमानुसार पुनः नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.02.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

श्याम सुन्दर चेतीवाल(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर, अलवर

594 वाके ग्राम मथुराहेडा तस्दीक किया है, जबकि अपीलाण्टस संख्या 1 का नाम रमन बिहारी उपाध्याय के स्थान पर रामबिहारी उपाध्याय व गावं का नाम वाकलपुर के स्थान पर बालकपुर लिखकर स्वीकार कर दिया।जिस गलत इंतकाल को कानूनगो हल्का ने अपीलाण्ट को बिना बुलाये बिना सुने सही नाम की जॉच किये बिना ही इन्तकाल को सही अंकन होना पाया अंकित कर दिया। जिस विरासत इन्तकाल को पटवारी हल्का ने रेस्पो0 सरपंच ग्राम पंचायत मथुराहेडा के समक्ष वास्ते स्वीकृत पेश किया। जिस दोषपूर्ण इन्तकाल को ग्राम पंचायत ने बिना सुने बिना बुलाये अपीलाण्ट के सही नाम की जानकारी किये बिना जॉच किये बिना पहचान के दस्तावेत लिये बिना ही गैरकानूनी ढंग से अपीलाण्ट संख्या 2 का नाम छोडकर व अपीलाण्ट संख्या 1 का नाम गलत व गांव का नाम गलत स्वीकार कर दिया गया। जो विधि विरूद्व तरीके से तस्दीक होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट को उक्त इन्तकाल संख्या 594 के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 15.05.2025 को पटवारी हल्का के पास जाने तथा रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर हुई, जिस पर अपीलाण्ट ने इन्तकाल संख्या 594 की नकल प्राप्त कर बिना देरी किये अपील पेश की है। आदेश दिनांक 18.08.2019 से दिनांक 16.05.2025 तक की देरी कण्डोन किये जाने का उचित कारण है जिस देरी को कण्डोन करने के लिये अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पत्रावली के साथ पेश किया गया है विवादित इन्तकाल ग्राम पंचायत की मीटिंग बुलाये बिना तथा प्रोसिडिंग रजिस्टर में दर्ज किये बिना एवं अपीलांट्स को बिना सुने बिना बुलाये तस्दीक किये जाने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट पेश कर इन्तकाल संख्या 594 दिनांक 23.09.2019 वाके मथुराहेडा ग्राम पंचायत मथुराहेडा तहसील कठूमर, अलवर निरस्त करने का निवेदन किया गया।

हमने अपीलाण्टस अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अपीलाण्ट अधिवक्ता बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध राजस्व दस्तावेजात के आधार पर इन्तकाल संख्या 594 दिनांक 23.09.2019 वाके मथुराहेडा पंचायत मथुराहेडा तहसील कठूमर, अलवर निरस्त किये जाने एवं अपीलाण्टस द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956 की स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होती है।

–::आदेश::–

अतः अपीलाण्ट अधिवक्ता बहस, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत मथुराहेडा स्वीकृत इंतकाल संख्या 594 दिनांक 23.09.2019 वाके ग्राम मथुराहेडा ग्राम पंचायत मथुराहेडा को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार कठूमर को रिमाण्ड कर निर्देशित किया जाता है कि वह नियमानुसार पुनः नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.02.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

श्याम सुन्दर चेतीवाल(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर, अलवर